न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 44/2021

प्रार्थी

कोकू देवी पत्नी दलाजी, जाति– घांची, निवासी–देलदर, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सुंगीदेवी पत्नी दरजा जी, जाति–सुथार, निवासी–देलदर, तहसील व जिला सिरोही
2. सरपंच/सचिव, ग्राम पचायत, मण्डवारिया, तहसील व जिला सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री मुन्नवर हुसैन, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 23 मई, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी सुंगी देवी सुथार पत्नी दरजाराम जी, निवासी– देलदर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) अर्न्तगत क्षेत्रफल 1089 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 02–2–2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) सुंगी देवी की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) सुंगी देवी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 16–5–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि प्रार्थी निगरानीकार, ग्राम देलदर की मूल निवासी है तथा पंचायत में हितबद्ध व्यक्ति की श्रेणी में आने से उसे यह निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा अप्रार्थी सुंगीदेवी पत्नी दरजाजी सुथार को एक आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 33X33 फीट कुल क्षेत्रफल 1089 वर्गफीट का पट्टा संख्या 39 दिनांक 02–2–2017 को जारी किया गया है, जिसकी चतुदर्शी उत्तर दिशा में नगाराम पुत्र दलाजी घांची का मकान, दक्षिण में दरजाराम पुत्र चमनाजी सुथार का मकान, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में मैन रोड जालोर से सिरोही व दरवाजा है। उपरोक्त पट्टा अप्रार्थी सुंगी देवी को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत् जारी किया गया है जो नियम विरूद्ध व वास्तविक तथ्यों को छुपाकर धोखाधड़ी पूर्वक जारी किया गया है। जो ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा गलत एवं फर्जी कार्यवाही करते हुए, गलत रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी सुंगी देवी को फायदा पहुँचाने के आशय से जारी किया है, जिससे ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया को राजस्व की हानि हुई है। अप्रार्थी सुंगी देवी पत्नी दरजा जी सुथार, निवासी– देलदर को ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

157(2) के तहत जो पट्टा संख्या 39 दिनांक 02–2–2017 को जारी किया गया है उसकी चतुदर्शी में दक्षिण दिशा में दरजाजी पुत्र चमनाजी सुथार का मकान दर्शाया गया है। दरजाजी पुत्र चमनाजी सुथार, अप्रार्थी सुंगी देवी का पति है। अप्रार्थी सुंगी देवी पत्नी दरजा जी सुथार व दरजाजी पुत्र चमनाजी सुथार दोनो पति–पत्नी है जो दोनों मिलकर एक परिवार की युनिट माने जाते है। अप्रार्थी सुंगी देवी के पति के पास संबंधित पंचायत क्षेत्र में पहले से ही आवासीय मकान होने के बावजूद भी अप्रार्थी सुंगी देवी को आरक्षित दर पर एक और पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया के राजस्व कों नुकसान पहुँचाया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत् ऐसे परिवार जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृहस्थल नहीं है को ही पट्टा जारी किया जा सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया ने उक्त नियम 157(2) में वर्णित प्रावधान व कानून की उपेक्षा करते हुए अप्रार्थी सुंगी देवी को पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी सुंगी देवी के पति के पास और भी कई आवासीय सम्पत्तियां है, जिससे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नही रखती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी सुंगी देवी को नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी सुंगी देवी पत्नी दरजा जी, जाति– सुथार, निवासी– देलदर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 02–2–2017 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) सुंगी देवी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी सुंगी देवी के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया, ग्राम देलदर में अवश्य निवास करती है लेकीन प्रार्थीया हितबद्ध व्यक्ति की श्रेणी नही आती है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सुंगी देवी के विरूद्ध द्वेष भावना वश उक्त निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर केवल मात्र हैरान व परेशान करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थीया का कोई हित निहित नहीं है। अप्रार्थी सुंगी देवी के स्वामित्व व कब्जाशुदा आवासीय मकान का विधि अनुसार ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा जारी किया गया है, जो भूखण्ड का नहीं होकर आवासीय मकान का जारी किया गया है। उक्त पट्टाशुदा सम्पत्ति अप्रार्थी सुंगी देवी के कब्जे मालकी का है, जिस पर अप्रार्थी सुंगी देवी का अपने ससुर के समय का पुराना आवास बना हुआ है एवं अप्रार्थी सुंगी देवी, अपने ससुर के समय से लगातार काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रही है। ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी सुंगी देवी के आवास की भूमि पट्टा विधि अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पूर्ण रुप से पालना करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत विधि अनुरुप जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अवैद्यता या अनियमितता नहीं है। उक्त पट्टा नियम विरुद्ध वास्तविक तथ्यों का छुपाकर धोखाधडी पुर्वक जारी किया हुआ होने तथा गलत व फर्जी रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी सुंगी देवी के हक में अनुचित फायदा व ग्राम पंचायत को अनुचित हानि पहुँचाए जाने के आशय से जारी किया जाने का कथन गलत है। अप्रार्थी सुंगी देवी के मकान के पडौस में प्रार्थीया के पति का मकान है तथा प्रार्थीया व अप्रार्थी सुंगी देवी के मकान पक्की दिवार से विभक्त है। अप्रार्थी सुंगी देवी के पति के पास उनके स्वामित्व का मकान होने तथा उसके कारण अप्रार्थी सुंगी देवी को उक्त पट्टा जारी नहीं हो सकने का कथन गलत है। प्रश्नगत पट्टा, राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत विधि अनुसार पुर्ण प्रकिया अपनाकर जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अवैद्यता या अनियमितता नहीं है। उक्त पट्टा जारी किए जाने से ग्राम पंचायत को कोई हानि नहीं पहुँची है। अप्रार्थी सुंगी देवी के पुराने का आवास का नियमन कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

तहत पट्टा जारी किया गया है, जो विधि अनुसार पुर्ण प्रकिया के तहत जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील किए जाने का प्रावधान है, लेकिन कोई अपील प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं होने है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी सुंगी देवी के मकान के आगे पत्थर डालकर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जाता रहा है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी सुंगी देवी से उक्त अतिक्रमण हटाए जाने हेतु रूपयों की अवैद्य वसूली भी की है, प्रार्थीया न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आई है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी सुंगी देवी सुथार पत्नी दरजाराम जी, जाति– सुथार, निवासी– देलदर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत क्षेत्रफल 1089 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 39 दिनांक 02–2–2017 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत, ''ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नही है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झौपडी/कच्चे–गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होगे। ऐसी भूमि का पट्टा, ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।''

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार का मुख्यतः कथन यह है कि ''अप्रार्थी सुंगी देवी पत्नी दरजा जी सुथार, निवासी– देलदर को ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जो पट्टा संख्या 39 दिनांक 02–2–2017 को जारी किया गया है उसकी चतुदर्शी में दक्षिण दिशा में दरजाजी पुत्र चमनाजी सुथार का मकान दर्शाया गया है। दरजाजी पुत्र चमनाजी सुथार, अप्रार्थी सुंगी देवी का पति है। अप्रार्थी सुंगी देवी पत्नी दरजा जी सुथार व दरजाजी पुत्र चमनाजी सुथार दोनो पति–पत्नी है जो दोनों मिलकर एक परिवार की युनिट माने जाते है। अप्रार्थी सुंगी देवी के पति के पास संबंधित पंचायत क्षेत्र में पहले से ही आवासीय मकान होने के बावजूद भी अप्रार्थी सुंगी देवी को आरक्षित दर पर एक और पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया के राजस्व कों नुकसान पहुँचाया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत् ऐसे परिवार जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृहस्थल नहीं है को ही पट्टा जारी किया जा सकता है, लेकिन ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया ने उक्त नियम 157(2) में वर्णित प्रावधान व कानून की उपेक्षा करते हुए अप्रार्थी सुंगी देवी को पट्टा जारी किया है।'' प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में अंकित कथन के समर्थन में ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी सुंगी देवी पत्नी दरजाराम सुथार, निवासी– देलदर को जारी उक्त पट्टे से संबंधित पंचायत की मिसल संख्या 89/2016–17 दायर दिनांक 05–7–2016 फैसला दिनांक 20–9–2016 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें अप्रार्थी सुंगी देवी पत्नी दरजा जी सुथार को जारी प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि की चतुर्दशी में दक्षिण में दरजाराम पुत्र चमनाजी सुथार का घर दर्शाया हुआ है, लेकिन प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथन के समर्थन में ऐसे किसी आवासीय पट्टे की प्रति प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी सुंगी देवी या उसके पति के पास पूर्व से ही कोई पट्टेशुदा आवासीय भूमि/गृह उपलब्ध हो। प्रार्थी ने ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी सुंगी देवी का वर्ष 2003 तक झुग्गी–झौपडी/कच्चे–गृह के निर्माण के

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा नही रहा हो। प्रार्थी निगरानीकार ने ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी सुंगी देवी को कब्जे रहित खुली भूमि (open land) का पट्टा जारी किया हो। जबकि अप्रार्थी सुंगी देवी के कथनानुसार ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी सुंगी देवी को उक्त पट्टा, उसके स्वामित्व व कब्जाशुदा आवासीय मकान का जारी किया गया है, जिस पर अप्रार्थी सुंगी देवी का उसके ससुर के समय का पुराना आवास बना हुआ है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी सुंगी देवी के हक में पुराने आवासीय गृह का नियमन कर पट्टा जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी सुंगी देवी पत्नी दरजाराम सुथार के आवेदन पत्र पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों व विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए व पंचायत बैठक में प्रस्ताव पारित करके अप्रार्थी सुंगी देवी पत्नी दरजाराम सुथार, निवासी– देलदर के पक्ष में पट्टा जारी किया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23 मई, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही